कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
भदभदा रोड़, भोपाल – 462003

क्र./755/मप्रपुआ–अविनि /तशा/2018 भोपाल दिनांक– 15/5/2018

प्रति,

परियोजना यंत्री,
समस्त संभाग,
म0प्र0 पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम

विषयः– दिनांक 03.05.18 को मासिक बैठक में जारी निर्देशों के संबंध में ।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, दिनांक 03.05.2018 मासिक समीक्षा बैठक के दौरान माननीय प्रबंध संचालक महोदय द्वारा पैरा–06 में निर्देशित किया है कि, विद्युतीकरण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के परीक्षण हेतु एक लैब को जो कि इंदौर (M/S ELMEF Testing & Calibration Pvt.Ltd.RH-8, Country Walk, Near Shichukunj International Pvt.Ltd.Village- Jalariya, Indore-452016, M.P.) में है अधिकृत किया गया है अतः विद्युतीकरण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को नियामनुसार इसी लैब से कराना सुनिश्चत करें। NABL की सामग्री की जांच हेतु कॉमन टेस्ट लिस्ट आपको इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

विद्युत कार्यो में प्रयुक्त सामग्री के सैंपल ठेकेदार के स्टॉफ द्वारा लैब में ले जाकर दिये जाने की जानकारी संज्ञान में आयी है, समस्त संभाग के सहायक यंत्री (विद्युत) एवं उपयंत्री (विद्युत) को निर्देशित किया गया कि टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे जाने वाले सभी सैंपल कार्पोरेशन के ही कर्मचारियों द्वारा ही भेजा जाना कृपया सुनिश्चित करें, कार्य से संबंधित चैक लिस्ट आपकों इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 849 दिनांक 20.07.2016 द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है।

कृपया निर्देशानुसार कार्यालय में पावर बैकअप हेतु एक 750 VA इन्वर्टर एवं एक 12 VA150 MAH बैटरी सहित स्थापित किया जाना चाहिये जिससे कि मीटिंग के दौरान 5 से 6 घंटे का बैकअप प्राप्त होता रहे, कृपया उक्तानुसार भवन की विद्युत व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

पूर्व में दिये गये निर्णय अनुसार जहां हॉल है क्लास रूम है उनमें 56"/(1400mm) सींलिंग फैन ही लगवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (टेस्ट लिस्ट)
एवं चैक लिस्ट

15/5/18

परियोजना यंत्री (विद्युत)
म0प्र0पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

पृ क्र./ /मप्रपुआ–अविनि/तशा/2018 भोपाल दिनांक– / /2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री, (I,II) म0प्र0 पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. सहायक यंत्री, (विद्युत) श्री.. संभाग..म0प्र0 पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम की ओर सूचनार्थ।
4. उपयंत्री, (विद्युत) श्री.. संभाग..म0प्र0 पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम की ओर सूचनार्थ।

परियोजना यंत्री (विद्युत)
म0प्र0पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

117 ele

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
भदमदा रोड़, भोपाल – 462003

क्र./...849...../म.प्र.पु.हा.का./तशा/विद्युत/2016 भोपाल दिनांक –20/7/2016

प्रति,

परियोजना यंत्री,
म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कार्पो. लिमि.
संभाग भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/चम्बल
जबलपुर/रीवा/बालाघाट/रतलाम/सागर

विषयः– आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्यो के निष्पादन हेतु जांच सूचियॉ, मेक लिस्ट एवं स्पेशल कन्ड़ीशन विषयक्।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्पोरेशन द्वारा निष्पादित कराये जाने वाले आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्यो हेतु जांच सूचियॉ, अनुमोदित मेक लिस्ट एवं स्पेशल कन्ड़ीशन पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

कृपया तदानुसार ही कार्यो का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

15-7-16

प्रबंध संचालक
म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
भोपाल

पृ.क्र./............../म.प्र.पु.हा.का./तशा/विद्युत/2016 भोपाल दिनांक – / /2016

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य परियोजना यंत्री म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो0 लिमि0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो0 लिमि0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. परियोजना यंत्री (विद्युत)म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो0 लिमि0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त सहायक यंत्री (विद्युत)म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो0 लिमि0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त उपयंत्री यंत्री (विद्युत)म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो0 लिमि0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
भोपाल

आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु स्पेशिफिकेशन चैक लिस्ट

सहायक यंत्री एवं उपयंत्री निम्नानुसार कार्य कराये जाना सुनिश्चित करें:–

1. आंतरिक विद्युतीकरण हेतु प्रदत्त ड्राइंग का सूक्ष्मतः से अध्ययन करें, ड्राइंग में Index में दिये गये Symbols एवं हाइट (डाइमेन्शन) अनुसार कार्यस्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
2. कार्यादेश जारी होंने के साथ ही उपयंत्री द्वारा मेजरमेंट बुक एवं बिल बुक अपने नाम से संभागीय कार्यालय से issue कराना हैं तत्पश्चात् कार्य की प्रगति अनुरूप माप पुस्तिक में मार्प दर्ज करना हैं।
3. विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ होने पर साइट पर आये हुये मटेरियल रिकार्ड हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें यह रिकार्ड किया जाये कि कौन–कौन सा मटेरियल किस मेक का एवं कितना मटेरियल साइट पर आया और कब आया उसकी प्रति, बिल, चालान एक अन्य फायल बनाकर उसमें लगाये।
4. सभी मटेरियल Specification एवं Approved Make है कि नही लगने से पूर्व ही चैक करलें।
5. एस.ओ.आर. का अध्ययन करें, तदानुसार वर्णित विवरण के अनुसार मटेरियल/सामग्री चैक करें।
6. दीवालों में झिरी सीधी एवं जरूरत से ज्यादा तोड़–फोड़ करते हुये ना की जाये इसे चैक करें, मशीन द्वारा झिरी करवाना एवं प्लास्टर पूर्व झिरी करना सुनिश्चित करें।
7. आवश्यक PVC (HMS) Pipe की Thickness 2mm होना आवश्यक है, प्रत्येक पाइप में कितने वायर जाना है यह पाइप डालने से पूर्व ही Drawing के अनुसार सुनिश्चित करें, PVC Conduiting करते समय कार्नर में कोना उपयोग न करके PVC Band लगाया जाना सुनिश्चित करें, पाइप में जरूरत या Specification से ज्यादा वायर तो नही डाले जा रहे है इसे चैंक करें, 20 mm Pipe में 1.5 sqmm के 6 वायर, 2.5 sqmm के 5 वायर, 4 sqmm के 4 वायर, 6 sqmm के 5 वायर, एवं 25 mm Pipe में 1.5 sqmm के 10 वायर, 2.5 sqmm के 10 वायर, 4 sqmm के 6 वायर, 6 sqmm के 6 वायर डाले जाना सुनिश्चित करें।
8. सर्किट वयरिंग :– D.B. से Switch Board तक की लम्बाई D.B. से अधिक्तम 8 तार निकाले जा सकते हैं। जिनका माप D.B. में जवाइंड प्वाइंट जहां तक 8 तार डाले गये है वहां तक 8 m m के मेजरमेंट तथा जंग्शन से जहां तक 6 तार डाले गये 6 तार का मेजरमेंट तथा जहां से 4 तार जिस जगह तक गये है वही तक 4 तार का मेजरमेंट और जहा से 2 तार जिस जगह तक गया हैं वहां 2 तार के अनुसार मेंजरमेंट करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार सबमेन हेतु भी मेंजरमेंट करना सुनिश्चित करें।
9. छत पर फेन बाक्स का उपयोग Junction बाक्स की तरह ना हो यह सुनिश्चित करें, इसे चैक करें।
10. सर्किट, लाइट, फेन, तथा Sub main एवं पावर प्वाइंट हेतु पृथक–पृथक, Specification अनुसार पाइप लगाया गया है कि नही यह चैक करें।
11. स्विच बॉक्स Ordinary की गहराई 60 mm एवं Thickness 1.2mm (18 SWG) तथा स्विच वॉक्स के ऊपर जो शीट (synthetic phenollic resin bonded laminated) लगाई जाती है, उसकी Thickness 3mm होना चाहिए उसके ऊपर ब्रास स्क्रू एवं वाशर एक सीध मे लगाया जाना सुनिश्चित करें।
12. सीलिंग रोज 3 Terminal लगता है, तथा उसका तीसरा Terminal जो की अर्थिंग के लिये है, उसे हरे रंग के वायर से कनेक्ट किया गया है कि नहीं चैंक करें।
13. वायर, केबल, कापर Conductor मल्टीस्टेण्ड, फायर रिटाडेन्ट, ISI मार्क Approved Make कम्पनी का है, या नही चैंक करें।

स्वीच बोर्ड का चयंन करते समय यह ध्यान रखा जाये की भविष्य में यदि 1 स्वीच और साकेट लगाने की आवश्कता पड़े तो वह उसमें लगाया जा सकें। उक्त अनुसार प्रावधान रखा जावे।

15. आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले अर्थिंग वायर हरे रंग का Approved Size जहां जैसी जरूरत है, 1.5 sqmm वायर के साथ 1.5 sqmm (हरे रंग का वायर) 2.5 sqmm वायर के साथ 2.5 sqmm (हरे रंग का वायर) 4.00 sqmm वायर के साथ 4.00 sqmm (हरे रंग का वायर) तथा 6.00 sqmm वायर के साथ 6.00 sqmm (हरे रंग का वायर) डाया गया है, कि नही चैक करें, पूर्व से निर्धारित लाईट और पावर सर्किट के अनुसार डी–बी की Rating तय करें, तथा प्वाइंट वायरिंग हेतु एक सर्किट पर अधिकतम 6 (लाईट एवं फेन) का प्वाइंट देना सुनिश्चित करें, तथा प्रत्येक पावर प्वाइंट का सर्किट डी–बी से पृथक लिया जावें। डी–बी में MCB, Isolator 32 to 40 Amp से कम Rating की न लगाई जाये किन्तु कार्य प्रारंभ होने के पहले ही Isolator MCB के Rating की गणना की जाये।

16. MCB DB, Accessories, स्विचबोर्ड, ट्यूबलाईट इत्यादि फिक्चर्स सीधे लाइन लेबल (Water level के अनुसार) चैक करें।

17. Modular Accessories आवासीय भवन ई–टाइप और उसके ऊपर की केटेगरी में ही इस्तेमाल की जाना है, तथा प्रशासकीय भवनो जिनकी लागत 50 लाख या उससे अधिक है में ही Modular Accessories का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें, सभी Modular एवं Non Modular Accessories पॉलीकार्बोनेट मटेरियल होना सुनिश्चित करें।

18. एल.ई.डी. लाईट एवं डेकोरेटिव फेन केबल नॉन रेसीडेन्सीयल भवनों में ही लगाया जाना सुनिश्चित करें, अथवा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। सीलिंग फेन 5 स्टार रेंटिग ISI मार्क Approved Make कम्पनी है, या नही चैक करें।

19. भवन में निर्मित सीढ़ियों पर जहाँ आवश्यक हो वहाँ 2 way switch का उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

20. निर्देशानुसार TV एवं Telephone का प्वाइंट सुनिश्चित करें।

21. भवन के बाहर लगाये जाने वाले विद्युत प्वाइंट होल्डर के स्थान पर Bulk Head का उपयोग कराना सुनिश्चित करें।

22. बहुमंजिला भवनों के लिए म0प्र0वि0मं0 के नियमानुसार ज़िन पेनल्स को लगाया जाना है, उनमे प्रत्येक भवन के लिए अलग से Main Controlling MCB एवं मीटर के Compartment का प्रावधान रखा जायें।

23. भवन में अर्थिंग हेतु कराया जाना वाला गड्डा या पिट भवन से 1.5 मी. से 2 मी. दूरी पर कराया जाना सुनिश्चित करें, भवन से सटाकर पिट न बनाया जायें, एवं अर्थिंग पीट पर काली मिट्टी डालना सुनिश्चित करें। एक अर्थिंग से दूसरे अर्थिंग के बीच 2 मी. से 3 मी. की दूरी स्थापित करना सुनिश्चित करें।

24. सर्किट वायरिंग के साथ अर्थिंग हेतु जो हरे रंग का तार डाला जायेगा उसका भुगतान पृथक से किया जायेगा।

25. पाइंट के मेजरमेंट निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें :–

स्वीच बाक्स में स्वीच से कनेक्टिंग होल्डर/सिलिंग रोज तक की लेंथ माप करते हुये वार्णित अनुसार मेजरमेंट रिकार्ड किया जाना सुनिश्चित करें।

upto 3 m तक Short Point

about 3 m upto 6 m तक Medium point

about 6 m upto 10 m तक Long point

पावर प्वाइंटस के मेजरमेंट हेतु about 10 m से 15 m Extra I long point about 15 m upto 20 m Extra long poing II तथा about 20 m upto 25 m Extra long poing III के अनुसार मेजरमेंट रिकार्ड किये जाना सुनिश्चित करें।

वास्तविकतानुसार जो मटेरियल लगाया गया है Power point के वायरिंग हेतु उसका भुगतान वास्तविक लम्बाई के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15/7/14

परियोजना यंत्री (विद्युत)
म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो.लिमि.
भोपाल

बाह्य विद्युतीकरण कार्य हुते चैक लिस्ट

1. म.प्र. वि.वि. कम्पनीयों से अनुमोदित ले आउट का अध्ययन कर कार्यस्थल का निरीक्षण करना तथा अनुबंध में दी गई सामग्री की मात्रा को तदानुसार कार्यस्थल पर उपयोग में लाने हेतु प्लान बनाना।
2. नियंत टेपिंग प्वाइंट का स्थल निरीक्षण कर टेपिंग प्वाइंट की स्थिति सुनिश्चित करना।
3. कार्यादेश जारी होने के उपरांत ठेकेदार को म.प्र.वि.वि. कम्पनीयों से अनुमोदित ले आउट के अनुसार ले आऊट ड्रांइग पर एवं स्थल पर भौतिक रूप से अविलम्ब देना।
4. विद्युत कार्य प्रारंभ होने पर साइट पर आये हुये मटेरियल रिकार्ड हेतु एक रजिस्टर बनाया जाये, जिसमें यह रिकार्ड किया जाये कि कौन–कौन सा मटेरियल किस मेक का एवं कितना मटेरियल साइट पर आया और कब आया उसकी प्रति, बिल, चालान एक अन्य फायल बनाकर उसमें लगाये।
5. अनुबंध अनुसार कार्यस्थल पर लगाये जाने वाले पोल्स की मात्रा सुनिश्चित करना यदि भौतिक रूप से लगाये जाने वाली मात्रा में फेरबदल हो तो उच्च अधिकारियों से सम्पर्क कर स्थिति स्पष्ट करना।
6. संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर उपलब्ध कराये गये पोल्स का भार, लम्बाई, व विर्निरिष्ट सेक्शन चैक करना।
7. पोल्स लगाये जाने के पूर्व पोल्स पर आवश्यक रेड आक्साइड कर एक कोट एल्यूमीनियम पेंट ब्रुश द्वारा करना। इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि पैट लगाते समय ऐयर बबल्स ना रह जाये।
8. ठेकेदार द्वारा पोल्स के लिये किये गये प्रत्येक गड्डे की गहराई पोल्स की विर्निरिष्ट लम्बाई (1/6)हेतु चैक करना।
9. प्रत्येक पोल्स के लिये आवश्यक रूप से अर्थिंग का प्रावधान कर चैक करना। यदि पथरीली अथवा पहाड़ी जमीन है, तो अर्थिंग गड्डे में काली या पीली मिट्टी डलवाना। प्रोवीजन के अनुसार कैमीकल अर्थिंग (वेंटो न्यटूर पावडर) का उपयोग सुनिश्चित करें।
10. पोल्स को खडे करने हेतु किये गये गड्डे में पोल्स को सीधा (Aligning in Truly Vertical Position) खडा किया जावे, एवं खम्बों को एक सीध में लगाया जाना सुनिश्चित करें, डी पी (डबल पोल्स स्ट्रक्चर) को 8 फुट सेन्टर एवं 6 फुट सेन्टर को अवश्य जॉच ले।
11. जिन पोल्स का उपयोग किया जाना हो पोल्स खडे करने के पूर्व उनमें अर्थ वायर कनेक्ट करने हेतु होल करना आवश्यक है।
12. पोल्स की मफिंग करते समय अर्थ वायर प्रॉटेक्शन हेतु जो Pipe डाला जाता है, उसे मफिंग करते समय उसकें अन्दर ही पोल्स में चिपका कर लगाया जाये।
13. जो भी बाह्य विद्युतीकरण की सामग्री कार्यस्थल पर लाई जाती है, उसको अनुबंध में Specificationअनुसार चैक करना।
14. केबल हेतु ट्रेन्च की साइज एवं कितने केबल, ट्रेन्च में लेईग किये जाने है, उसके अनुसार प्री–कास्ट ट्रेन्च डिमाण्ड़ करें।
15. केबल Staging अनुसार लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
16. जो सामग्री कार्यस्थल पर लाई जाती है, उसकें गेट पास, कम्पनी देयक, गारंटी कार्ड विर्निरिष्ट चैक करना।
17. कार्य प्रारंभ होने के बाद समय–समय पर म.प्र. वि.वि. कम्पनियों के अधिकारियों को कार्य भी प्रगति के बारे में सूचित कर उनके अधिकारियों को निरीक्षण हेतु कार्य स्थल पर लाने का

18. कार्य म.प्र. वि.वि.क. को हस्तांरित करते समय स्वयं का आवश्यक रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करे।

19. ठेकेदार को बार–बार कार्य पूर्ण करने हेतु समय सीमा का भी ध्यान रखने हेतु निर्देशित करते रहना अति आवश्यक है।

20. ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा इस निविदा दिनांक से म.प्र.पु.हा.का.लि. में पिछले पांच वर्षो में कोई भी बाह्य विद्युतीकरण के दो कार्य अनुबंधित समयावधि से विलंबित पूर्ण किये हो एवं इसके लिए उनको अधिकतम अर्थदण्ड 50 प्रतिशत से अधिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। वे निविदा में भाग नही ले सकेगें।

21. ट्रांसफार्मर एवं VCB (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) की गुणवत्ता की जॉच हेतु NABL (शासन द्वारा अधिकृत लेबोट्रेरी) प्रमाण पत्र को स्थापना पूर्व ठेकेदार से प्राप्त करें।

22. एरियल बंच केबल (AB Cable) की सप्लाई प्राप्त होने पर उसमें साइज वोल्टेज एवं ISI मार्क प्रति मीटर पर अंकित किया हुआ चेक करें।

परियोजना यंत्री (विद्युत)
म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पो.लिमि.
भोपाल